an>

Title: Issue regarding problems faced by transporters in India.

श्री धनंजय महाडीक (कोल्हापुर): अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्षा जी, पूरे देश में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट का बंद चल रहा है। सभी कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां बंद हैं। उन्होंने बंद का एलान किया हुआ है। तकरीबन 90 लाख ट्रांसपोर्ट की कॉमर्शियल गाड़ियां बंद हैं। इससे आवागमन का कोई भी काम नहीं हो रहा है। सिर्फ अभी स्कूल बसों का काम चल रहा है।

अध्यक्षा जी, ट्रांसपोर्ट के बंद होने की वजह से जो रोज नुकसान हो रहा है, वह ट्रांसपोर्ट बिजनेस 4,000 करोड़ रुपये का हो रहा है। इंडस्ट्री की अपेक्स बॉडी ने यह घोषणा की है कि उनका 33,000 करोड़ रुपये का नुकसान रोज हो रहा है।

नो-कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अपने इस ट्रांसपोर्ट लाइन को सराहा था। इससे बढ़त हो रही है, उन्होंने ऐसी घोषणा की थी। उनके हड़ताल का आज छठा दिन है। उनकी बस दो-तीन मांगें हैं। डीजल और फ्यूल के जो प्राइसेस बढ़ाए जाते हैं, वे तीन महीने में एक बार बढ़ाए जाएं क्योंकि छ: महीने में यह 12 बार बढ़ाई गयी है। टोल बैरियर-फ्री होना चाहिए। वे सब पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टोल पर जाम लगा होता है। थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस, जिसे हर साल तीस प्रतिशत बढ़ाया जाता है, उसे रद्द किया जाए। इन्कम टैक्स सालाना एवरेज किया जाता है। इसे उनके काम के हिसाब से दिया जाए। आरटीओ और पुलिस से जो उन्हें परेशानी होती है, उससे उन्हें जो नुकसान होता है, उसे बंद किया जाए। ई-वे बिल का जो क्लैरिकल एरियर होता है, जिसकी वजह से लाखों रुपये का दंड दिया जाता है, उसे भी बंद कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गम्भीर मसला है। इसमें सरकार को तुरन्त हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे एवं

श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री धनंजय महाडीक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

The House stands adjourned to meet again at 2.25 p.m.

13 23 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twenty-Five Minutes

past Fourteen of the Clock.

14 25 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twenty-Five Minutes

past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): I would request the hon. Deputy Speaker, Sir, that instead of taking up the Bills, as agreed to by all Parties in the House, the House may take up Discussion under Rule 193 on recent flood and drought situation in the country listed at Item No.33.

HON. DEPUTY SPEAKER: If the House agrees, we can take up Discussion under Rule 193.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, it was discussed in the Business Advisory Committee and actually I moved a notice on this. My constituency, Alappuzha is badly affected.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We are taking up the discussion.

SHRI K.C. VENUGOPAL: I would, therefore, say that I should be given a chance to initiate the discussion.… (*Interruptions*) I have requested the hon. Minister, Shri Ananthkumar also as my constituency is badly affected.

HON. DEPUTY SPEAKER: I can understand that. I will give more time to discuss that matter. Let me go as per the list of the speakers. In whosoever name the discussion has been admitted may be allowed to initiate the discussion. I will give you sufficient time to speak.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Actually, the whole of the district has been devastated.… (*Interruptions*)